



बिहार सरकार  
समाहरणालय, लखीसराय  
लखीसराय-811311  
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष : 06346-232124 (कार्या0)  
06346-232490 (आवास)  
06346-232767 (फैक्स)  
Email-dm-lakhisarai.bih@nic.in  
Website: www.lakhisarai.nic.in



शोमेन्द्र कुमार चौधरी, भा.प्र.स.स.स.  
जिलाधिकारी, लखीसराय।

**ई0-पास निर्गमन आदेश**

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा "द एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट, 1897" (The Epidemic Diseases Act, 1897) की धारा-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Lockdown करने का आदेश दिया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0-40-3/2020-डी0, दिनांक-24.03.2020 के क्रम में कार्यालय संचालन एवं आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, होम डिलेवरी करने वाले "ई-कॉमर्स" से जुड़े आवश्यक सेवाओं के वाहन/स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन को भी रोके जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। अपरिहार्य कारणवश/अनिवार्यता के आलोक में व्यक्तिगत वाहन परिचालन पास (लखीसराय जिला अन्तर्गत एवं अन्तर जिला) हेतु आवश्यक है। परिचालित होने वाले वाहनों एवं उनसे संबंधित कर्मियों हेतु व्याहट्सएप नं0 ई-मेल के माध्यम से संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी से ई-पास निर्गत करने की व्यवस्था की जा रही है।

जिले में लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-743/गो0, दिनांक-15.04.2020 द्वारा सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/खाद्यान्न एवं आपूर्ति से संबंधित सेवाओं/वस्तुओं हेतु परिवहन में लगे हुए वाहन एवं अन्य को आवश्यकतानुसार पास निर्गत करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो यथावत् रहेंगे। इसके अतिरिक्त अनुमंडल/जिला स्तर पर अर्न्तजिला के लिए ऑनलाईन ई-पास निर्गत किया जाना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन ई-पास निर्गत करने हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-

क्र0	क्षेत्र का नाम	प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम	ई-पास हेतु व्हाट्सएप मो0 नं0	ई-पास हेतु ई-मेल
01	जिला स्तर एवं अर्न्तजिला के लिए	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय सदर	9122142076	lakhisarai.itm@gmail.com
02	सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय सदर		

आवेदक उपरोक्त ई-मेल के माध्यम से संलग्न आवेदन-पत्र परिशिष्ट-1 में विवरणी भरकर PDF FILE बनाकर आवेदन करेंगे, ताकि कागजात Misplace नहीं हो।

प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी हेतु श्री राकेश कुमार रंजन, परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्ता, लखीसराय मो0-9971599348 को प्राधिकृत किया जाता है।

संबंधित पदाधिकारी व्हाट्सएप/ई-मेल से प्राप्त PDF आवेदन के आलोक में संतुष्ट होकर निर्गत ई-पास PDF FILE बनाकर आवेदक के व्हाट्सएप मोबाईल संख्या पर भेजेंगे तथा ई-पास की कॉपी संबंधित जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को भी देंगे।

इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में सहयोग करने हेतु निम्न प्रकार कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जो अनुमंडल दण्डाधिकारी के नियंत्रणाधीन ई-पास संबंधित कार्य निष्पादित करेंगे।

क्रमांक	कर्मी का नाम एवं पदनाम	पदस्थापित कार्यालय का नाम
01	श्री दीपक कुमार, लिपिक	उत्पाद कार्यालय, लखीसराय
02	श्री विनय कुमार यादव, सांख्यिकी सहायक	बाल विकास परियोजना कार्यालय, हलसी
03	श्री कंचन कुमार, सहायक सह ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	जिला बाल संरक्षण इकाई, लखीसराय
04	श्री अजय लाल, कार्यपालक सहायक मो0-9708814244	कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय, लखीसराय
05	श्री अचरज कुमार, कार्यपालक सहायक। मो0-7004547171	कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय, रामगढ़चौक



सोमेश्वर कुमार चौधरी, प्रबन्धक  
पदाधिकारी, लखीसराय।



बिहार सरकार  
समाहरणालय, लखीसराय  
लखीसराय-811311  
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष : 06346-232124 (कार्यालय)  
06346-232490 (आवास)  
06346-232767 (फैक्स)  
Email-dm-lakhisarai.bih@nic.in  
Website: www.lakhisarai.nic.in

-2-

आवेदन पंजी

क्रमांक	आवेदक का नाम	ई-पास का प्रयोजन	व्हाट्सएप सं०	आवेदन प्राप्ति		स्वीकृत तथा ई-पास निर्गत			अस्वीकृत	अभ्युक्ति
				तिथि	समय	संख्या	तिथि	समय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रतिनियुक्त लिपिक/सहायक ऑन लाईन ई-पास निर्गत करने हेतु आवेदन पंजी का संधारण उक्त प्रपत्र के अनुसार सुनिश्चित करेंगे। जिला नजारत उपसमाहर्ता, लखीसराय को निदेश है कि आवश्यक स्टेशनरी सामग्री संबंधित लिपिक को उपलब्ध करायेंगे। यह कोषांग एन0आई0सी0 कार्यालय में कार्यरत रहेगा।

संबंधित कर्मी हस्ताक्षर उपरान्त उसे ई-पास निर्गत कर आवेदक के व्हाट्सएप मोबाईल पर PDF FILE बनाकर भेजेंगे एवं निर्गत पंजी में दर्ज करेंगे।

उपरोक्त प्राधिकृत पदाधिकारी को निदेश जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ऑनलाईन ई-पास निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, लखीसराय एवं आई0टी0 प्रबंधक, लखीसराय को निदेश दिया जाता है कि ऑन-लाईन ई-पास निर्गत करने की प्रक्रिया में अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय सदर को तकनीकी सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी,  
लखीसराय।

ज्ञापांक 749/गो०,

लखीसराय, दिनांक :- 17.04.2020

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

- प्राधिकृत सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/श्री राकेश कुमार रंजन, वरीय उपसमाहर्ता, लखीसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
जिला जन संपर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
जिला नजारत उपसमाहर्ता, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, लखीसराय/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लखीसराय/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, लखीसराय/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय/आई0टी0 प्रबंधक, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उपरोक्त सूचना को लखीसराय जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।  
पुलिस अधीक्षक, लखीसराय/उप विकास आयुक्त, लखीसराय/अपर समाहर्ता, लखीसराय/सिविल सर्जन, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/सभी जिला/अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला दण्डाधिकारी,  
लखीसराय।

परिशिष्ट-1

आवेदन-पत्र

सेवा में,

.....  
.....

विषय :- ई-पास निर्गत करने के संबंध में।

महाशय

सविनय निवेदन है कि मुझे ई0 पास की आवश्यकता है, जिसे निर्गत करने की कृपा की जाय। विवरणी निम्नवत् है :-

1. आवेदक का नाम :-
2. व्हाट्सएप मोबाईल संख्या :-
3. फोटो आई0डी0  
(आधार कार्ड / वोटर आई0कार्ड / चालक अनुज्ञप्ति / पासपोर्ट / पैन)
4. वाहन का प्रकार :-
5. निबंधन संख्या :-
6. प्रस्थान स्थल :-
7. गंतव्य स्थल :-
8. प्रयोजन :-
9. यात्रियों की संख्या :-

मैं यह शपथ-पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है। गलत पाये जाने पर दण्ड का भागी होऊँगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता